

न्यायलय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन

समिति सक्ती

::आदेश::

क./ 505/अंग्रेजी माध्य./संविदा/2021-22

सक्ती, दिनांक 22 जून 2021

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ 23-8/2020/20-3/22 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शैक्षणिक जिला सक्ती के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंध समिति सक्ती द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती में निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख कंडिका क.-3 में उल्लेखित पद पर शासन द्वारा घोषित एकमुश्त मानदेय पर (अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे) अधिरोपित शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती में नियुक्ति दी जाती है।

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य होगी।

क.	शाला का स्तर	पद का नाम	चयनियत अभ्यर्थी का नाम	संवर्ग	एकमुश्त देय वेतन	पता
1	उच्चतर माध्यमिक	व्याख्याता वाणिज्य	सुनिता उरांव पिता/पति टंकधर उरांव	अ.ज.जा. मुक्त	38100.00	बरभांठा चौक तह. व पोस्ट तमनार जिला रायगढ़ 496107

- उपरोक्त पदांकित अधिकारी कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती में दिनांक 30/6/2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी पूर्ण रूप से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति सक्ती में प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है, मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- पुलिस अधिक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र) में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
- नियुक्त सभी अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
- नियुक्त अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित की सेवा 1 माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यदि संबंधित अभ्यर्थी अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 1 माह का नोटिस अथवा उसके एवज में 1 माह का वेतन जमा करना होगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है।

दि सत्यापन के पश्चात उम्मीदवार द्वारा उसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किए जाने के उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

9. उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी/ प्रमाणपत्र यदि गलत पाये जाते हैं तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने के उत्तरदायी होगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर अधीक्षक
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय संचालन
प्रबंधन समिति सक्ती सक्ती
सक्ती, दिनांक जून 2021

पृ.क./ 506/अंग्रेजी माध्य./संविदा/2021-22

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चाम्पा को सूचनार्थ ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा जिला सक्ती को सूचनार्थ ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जांजगीर चांपा/ उप कोषालय अधिकारी सक्ती को सूचनार्थ ।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सक्ती, शिक्षा जिला सक्ती को सूचनार्थ ।
8. प्राचार्य स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती को सूचनार्थ एवं किया जाता है कि संबंधित के मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्राप्त कर समय सीमा में कार्यभार ग्रहण कराते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
9. संबंधित श्री सुनीता उशंव/रंकर उशंव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । नियुक्त पद पर दिनांक 30.6.2021 तक संस्था में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

कलेक्टर अधीक्षक
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय संचालन
प्रबंधन समिति सक्ती सक्ती